


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादीती

दिनांक	कार्य अथवा
	<p>वेद से जाती है। कस्तूरी व हथ पत्रावली दिनांक 04.7.12 को पेश हो।</p>
<p>04/03/12 12/03/12</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। बहुलाय परिचय उपस्थित करीब प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश करने से मना किया जाकर करीब प्रतिवादी ने सीधे ही बहस करने का निवेदन किया। जिस पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। उभयपक्षों के अधिवक्ता पर मनन किया गया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। डा. अशोक कुमार इस मिनट पर फेहरत है कि सवा घाटी विमड प्रतिवादी स्वीकार किने जाने योग्य है। डा. सवा घाटी विमड प्रतिवादी का तहत द्वारा 188, 183 का मिनट स्वीकार किया जाता है। विस्तृत मिनट पृष्ठ से लिखा जाकर शामिल वाद रहे। पत्रावली मिनट सुमार मानी जाकर वाद तर्काल नग्वर से कम होकर शामिल दफ्तर हो।</p>
	<p align="right">  महेश सिंह आवत उपखण्ड अधिकारी नादीती </p>

12/03/12